न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 03/2022

अपीलार्थीगण

(1) सोतीदेवी पत्नी जोराराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सनवाडा, हाल– मेघवालवास, पाडीव, तहसील व जिला– सिरोही

(2) हीराराम पुत्र जोराराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सनवाडा, हाल– मेघवालवास, पाडीव, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) कानाराम पुत्र जोरारामजी, जाति– मेघवाल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

(2) मानाराम पुत्र जोराराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी– सनवाडा, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

(3) भूबाराम पुत्र वीराराम, जाति–मेघवाल, निवासी–सनवाडा, तह. रेवदर,जिला– सिरोही

(4) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अपीलार्थीगण की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से

(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 4 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25 जून, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम सनवाडा, पटवार हल्का उडवारिया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 26.12.2001 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय समयावधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री परीक्षित खरोर उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या–4 (चार) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलार्थीगण की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सनवाडा, पटवार हल्का उड़वारिया, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के पुराने खसरा संख्या 92 नये खसरा संख्या 85, 580, 766/5 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि में अपीलार्थी सोतीदेवी के पति व अपीलार्थी हीराराम के पिता जोराराम पुत्र वीराराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– सनवाडा का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जे काश्त का है एवं 1/2 हक हिस्सा जोराराम जी के भाई भूबा पुत्र वीराजी (प्रत्यर्थी संख्या–3) का है। यह कि श्री जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल, निवासी–सनवाडा ने पहला विवाह अपीलार्थी सोतीदेवी से किया था जिनसे जोराराम पुत्र .वीराराम जी

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

मेघवाल के एक पुत्र अपीलार्थी हीराराम का जन्म हुआ। उसके बाद जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल ने दूसरा विवाह श्रीमती रम्बा से किया जिससे जोराराम जी के दो पुत्र कानाराम व मानाराम (प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2) का जन्म हुआ। यह कि जोराराम जी पुत्र वीराराम जी की दोनों पत्नियां साथ साथ रहती थी और दोनों के पुत्र भी साथ साथ रहते थे। यह कि जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल की मृत्यु वर्ष 2001 में होने से पहले ही उनकी दूसरी पत्नी श्रीमती रम्बा की मृत्यु हो चुकी थी, इस कारण श्रीमती रम्बा के दोनों लड़कों को अपीलार्थी के साथ रहना मंजूर नही होने से झगडा फसाद होने पर अपीलार्थीगण पाडीव रहने आ गये परन्तु खेती शामलाती ही करते रहे और अपना हक हिस्सा लेते रहे। यह कि पिछले तीन–चार वर्ष से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त व हक हिस्से की कृषि भूमि में खेती करने में बाधा पॅहुचानी चालू की, तब अपीलार्थी ने बंटवाड का दावा करने के लिये नकले मांगी, तब अपीलार्थीगण को अपीलार्थीगण का नाम खातेदारी में नही होने की जानकारी हुई। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने जोराराम जी पुत्र वीराराम जी की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का से मेल मिलाप कर जोराराम पुत्र वीराराम जी मेघवाल के सही पेढी पत्रक की जानकारी दिये बिना ही जोराराम पुत्र वीराराम जी मेघवाल का स्वयं को उत्तराधिकारी बताते हुए जोराराम जी के हक हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने स्वयं के नाम करवा लिया, जो विधि विरुद्ध है। यह कि मृतक खातेदार जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल की अपीलार्थी सोतीदेवी पत्नि होने से एवं अपीलार्थी हीराराम जायन्दा पुत्र होने से जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल के हक हिस्से की कृषि भूमि में नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकार रखते है। यह कि अपीलार्थीगण को जोराराम जी पुत्र वीराराम जी के हक हिस्से की भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा स्वयं के नाम से नामान्तरकरण करने की जानकारी होने के तुरन्त बाद ही कोरोना आ जाने से लॉक डाउन घोषित होने के कारण अपीलार्थीगण अपील समयावधि में प्रस्तुत नही कर सके। यह कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोरोनाकाल के कारण दिनांक 15.3.2020 से 02.10.2021 तक की अवधि को मियाद की अवधि में सम्मिलित नही करने के आदेश दिये है। यह कि अपीलार्थीगण ने उसके बाद अन्दर मियाद अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करी दी है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम सनवाडा, पटवार हल्का सनवाडा के नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 26.12.2001 को निरस्त किया जाकर मृतक खातेदार जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल, निवासी– सनवाडा के हक हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार, रेवदर को निर्देशित किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम सनवाडा, पटवार हल्का सनवाडा के खसरा संख्या 92 जिसके नया खसरा संख्या 580, 85, 766/5 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा है उसमें एकमात्र खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 है जिनका गत 20 वर्षो से बिना किसी रोकटोक के कब्जा–काश्त है। अपीलार्थीगण का उक्त कृषि भूमि में कोई हक हिस्सा नही है एवं न ही कानूनन अपीलार्थीगण कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के हकदार हे। यह कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ही मृतक खातेदार जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल के विधिक वारिसान है। अपीलार्थी सोतीदेवी, जो कि जोराराम जी की पहली पत्नि जरुर थी किन्तु आज से करीबन 35 वर्ष पूर्व जोराराम जी का अपीलार्थी सोतीदेवी से तलाक हो गया था तथा उसे स्थाई निर्वाह भत्ता व उसके व उसके पुत्र के हक हिस्से के रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार) नकद दे दिये थे। उसके बाद सोतीदेवी कभी भी ग्राम सनवाडा में नही आई है एवं वर्तमान में भी ग्राम पाडीव में अपने पुत्र हीराराम के साथ रहती है। जोराराम जी का सोतीदेवी से

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

तलाक होने के बाद जोराराम जी ने श्रीमती रम्बा देवी से जाति रिती रिवाज अनुसार विवाह किया था एवं रम्बादेवी व जोराराम ज़ी के दो पुत्र प्रत्यर्थी कानाराम व मानाराम का जन्म हुआ है। यह कि जोराराम जी पुत्र वीराराम मेघवाल की मृत्यु पर भी अपीलार्थीगण नही आये एवं सारा खर्चा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने ही वहन किया है तथा सारे सामाजिक रिती रिवाजों का निर्वहन भी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने ही किया है। यदि अपीलार्थीगण, मृतक जोराराम जी के वारिसान होते तो जोराराम जी की मृत्यु के बाद अवश्य आते, लेकिन नही आये। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त Western Law Cases (SC) 2019(1) Page 796, 2019(1) WLC(Raj.) UC Page 704, 2017(1) WLC (Raj.) UC 87, 2019(1) WLC (SC) Civil 37, 2017(2) WLC (Raj.) UC 246 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण वर्ष 2001 में दायर होकर स्वीकृत हुआ है, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही जानकारी होने के बावजूद भी यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में दिन प्रतिदिन के विलम्ब का कोई कारण अंकित नही किया है। अपीलार्थीगण की अपील मियाद बाहर होने से कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किया जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खातेदार जोराराम जी पुत्र वीराराम जी मेघवाल, निवासी– सनवाडा की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का उड़वारिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उत्तराधिकार नामान्तरकरण संख्या 657 दायर किया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 26.12.2001 को स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम सनवाडा, पटवार हल्का उड़वारिया के पुराने खसरा संख्या 92 नये खसरा संख्या 85, 580, 766/5 कुल रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा भूमि के सहखातेदार जोरा पुत्र वीरा जी मेघवाल, निवासी– सनवाडा की मृत्यु के बाद उक्त श्री जोरा पुत्र वीरा जी मेघवाल के हक हिस्से की कृषि भूमि का पटवार हल्का, उड़वारिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 657 दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 26.12.2001 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 26.12.2001 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2022 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 26.12.2001 के विरुद्ध यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थीगण ने तहसीलदार, रेवदर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 26.12.2001 के विरुद्ध जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थीगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी रही हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मियाद की अवधि जानकारी तिथि से प्रारम्भ होती है। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है। .....चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि के सहखातेदार जोरा पुत्र वीरा जी मेघवाल, निवासी— सनवाडा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 657 पटवारी हल्का, उड़वारिया द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः कानाराम व मानाराम के पक्ष में दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, रेवदर द्वारा दिनांक 26.12.2001 को स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलार्थीगण की ओर से अपील में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अंक तालिका आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि इन दस्तावेजों में अपीलार्थी हीराराम के पिता का नाम जोराराम अंकित है एवं अपीलार्थी सोतीदेवी के पति का नाम जोराराम अंकित है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही हुआ जिससे यह साबित हो सके कि मृतक खातेदार जोरा पुत्र वीरा जी मेघवाल, निवासी— सनवाडा की अपीलार्थी सोतीदेवी व हीराराम, पत्नी व पुत्र नही हो। जबकि अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण, मृतक खातेदार जोराराम पुत्र वीरा जी मेघवाल, निवासी— सनवाडा की पत्नि व पुत्र है। ऐसी स्थिति में, मृतक खातेदार जोरा पुत्र वीरा जी मेघवाल, निवासी— सनवाडा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण, अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत करना चाहिये था, लेकिन मृतक खातेदार जोरा पुत्र वीरा जी मेघवाल, निवासी— सनवाडा की मृत्यु के बाद उनके हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो विधि अनुरुप नही है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने व साबित होने से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा ग्राम सनवाडा, पटवार हल्का उड़वारिया के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 657 दिनांक 26.12.2001 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, रेवदर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार जोरा पुत्र वीरा जी मेघवाल, निवासी— सनवाड़ा के विधिक वारिसानों की जांच करे एवं अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुरुप नये सिरे से नामान्तरकरण दायर करवाकर निर्णित करने की कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 जून, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * न्यायालय

सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:08 IST
Reason: SelfAttested